जनता लेगी आंगनबाड़ी केन्द्रों का लेखा-जोखा

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

समाज कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी केन्द्रों के क्रियाकलापों से जनता को सीधे जोड़ने का निर्णय लिया है। अब हर महीने की 15 तारीख को टेक होम राशन (टीएचआर) वितरण के दिन ही सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) होगा। सोशल ऑडिट का मॉड्यूल तैयार कर लिया गया है। समाज कल्याण मंत्री इसी महीने की 15 तारीख से अंकेक्षण की शुरुआत करने जा रही हैं।

इसके माध्यम से केन्द्र संचालन से लेकर तमाम गतिविधियों में जनता की सीधे सहभागिता होगी। केन्द्र को आवंटन और खर्च का लेखा-जोखा भी जनता ले सकेगी। किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर जनता को उसके खिलाफ आवाज उठा सकेगी।

ऐसे होगा सामाजिक अंकेक्षण

जिस मोहल्ले, गांव या टोले में आंगनबाड़ी केन्द्र मौजूद हैं। वहां के आसपास के लोग हर महीने की 15 तारीख को 12 बजे दिन में केन्द्र पर एकत्रित होकर लाभुक सभा का आयोजन कर केन्द्र का सामाजिक अंकेक्षण करेंगे। उपस्थित लोग अध्यक्ष और तीन सदस्यों का चुनाव करेंगे। आंगनबाड़ी सेविका इस समिति की सचिव होंगी। अध्यक्ष और सदस्य का पूरा नाम-पता समेत अन्य जानकारी नोट होगी। सभा की कार्यवाही लिखने के लिए उपस्थित लोगों में किसी एक को या विद्यालय शिक्षक या प्रधानाचार्य का चयन किया जा सकता है। कोई प्रस्ताव हाथ उठाकर सामान्य बहुमत से पारित किया जाएगा।

बैठक के अंत में पूरी कार्यवाही पढ़ी जाएगी।

कवायद

- अब हर महीने की 15 तारीख को होगा सामाजिक अंकेक्षण
- आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति सुधारने के लिए विभाग की खास कवायद

लोगों को मिलने वाले मुख्य अधिकार

- आईसीडीएस के नियमों के अनुसार केन्द्र में चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों और योजनाओं पर नजर रखना। पूरक पोषाहार की मात्रा और गुणवत्ता की जांच करना।
- आवंटन और खर्च का लेखा-जोखा लेना। सेविका पिछले महीने का लेखा और वर्तमान लाभुकों की सूची आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सभा होने के पांच दिन पहले चिपकाएगी।
- सेविका और सहायिका के कार्यों में गड़बड़ी पाए जाने पर शिकायत करना। सभा के माध्यम से उन्हें कार्य सुधारने की चेतावनी देना। वहीं अच्छा कार्य करने पर जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए डीपीओ से अनुशंसा करना।
- हर शनिवार को बचपन दिवस का ठीक से आयोजन करवाना। टीएचआर वितरण में अनाजों की मात्रा की जांच करना।
- किसी केन्द्र पर सीडीपीओ की तरफ से की गई कार्रवाई की जानकारी अंकेक्षण के दौरान देना होगा।